न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अटरू जिला बारां (राज.)

पीठासीन अधिकारीः—दिनेश कुमार मीणा आर.ए.एस.

प्रकरण सं0 07 / 2022 **दायर दिनांकः 16 / 02 / 2022**

उनवान

1. संतोष आयु 52 वर्ष पुत्री जगन्नाथ सिंह पत्नि राजेन्द्र सिंह जाति रावराजपूत निवासी भकरावदा हाल मुकाम महावीर कॉलोनी बारां जिला बारां राज0।

प्रार्थी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार साहब, तहसील अटरू जिला बारां राज0।

अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल0 आर0 एक्ट

उपस्थिति :—

प्रार्थीः—विद्वान अभिभाषक श्री बद्रीलाल नागर।

निर्णय दिनाकः 30 / 05 / 2022

पत्रावली पेश हुई, उभय पक्ष उपस्थित। संक्षिप्त में प्रकरण इस प्रकार से है कि प्रार्थी ने यह प्रार्थना—पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल0 आर0 एक्ट का इस आशय का पेश किया है कि प्रार्थिया के शामलाती कब्जे काश्त एवं स्वामित्व की आराजी ग्राम एवं माल भकरावदा तहसील अटरू में खाता संख्या 136 का ख0नं0 10 का रकबा 6.36 है0 में हिस्सा 1 / 78 दर्ज खाता चली आ रही है। नकल जमाबन्दी संलग्न है जो काबिले गौर है। प्रार्थिया का नाम प्रार्थना पत्र की मद नं0 1 में वर्णित आराजी में सहवन से चन्द्रीबाई नाम अंकित हो गया है। जो कि गलत है। प्रार्थिया का सही नाम संतोष है। प्रार्थिया के भामाशाह कार्ड, व आधार कार्ड आदि में भी संतोष नाम ही दर्ज है। उक्त दस्तावेज व सरपंच ग्राम पंचायत गदरेटा पं.स. शाहबाद द्वारा जारी प्रमाण पत्र प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न है। प्रार्थिया राजस्व कर्मचारीगणों द्वारा की गई त्रुटि को दुरूस्त करवा कर प्रार्थिया का नाम चन्द्रीबाई के स्थान पर संतोष दर्ज करवाने की अधिकारिणी है। अप्रार्थी के अधीनस्थ कर्मचारीगणों के द्वारा किये गए गफलत एवं लापरवाही पूर्वक कार्य से प्रार्थिया का नाम चन्द्रीबाई दर्ज कर देने से प्रार्थिया को काफी परेशानियों का सामना करना पड रहा है। जमाबन्दी एवं अन्य दस्तावेजों में प्रार्थिया का नाम भिन्न भिन्न होने से बैंक से कृषि ऋण व अन्य कृषि योजनाओं का लाभ आदि प्राप्त नहीं कर पा रही है। प्रार्थिया ने अप्रार्थी से नाम

दुरूस्त करने का निवेदन किया तो उन्होने माननीय न्यायालय में कार्यवाही करने का निर्देश दिया इस कारण यह प्रार्थना पत्र माननीय न्यायालय में पेश किया गया है। प्रार्थिया का नाम संतोष के स्थान पर चन्द्रीबाई अप्रार्थी के अधीनस्थ कर्मचारीगणों के द्वारा दर्ज किया गया है। इस कारण माननीय न्यायालय को क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकार प्राप्त है। अन्य कारण बवक्त बहस मौखिक निवेदन किये जावेगें। अतः माननीय न्यायालय में प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी खाता संख्या 136 की कुल किता 10 का रकबा 6.36 है0 में हिस्सा 1/78 आराजी ग्राम भकरावदा में प्रार्थिया का नाम संतोष पुत्री जगन्नाथ सिंह दर्ज करने के आदेश अप्रार्थी को प्रदान किये जाने की कृपा करें।

2. प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी की तलबी जर्ये सम्मन की गई, अप्रार्थी द्वारा जवाब प्रार्थना पत्र पेश न करने के कारण जवाब प्रार्थना पत्र बन्द किया गया। साक्ष्यवादी के तहत pw 1 से pw 2 के शपथ पत्र पेश किये गये । साक्ष्यवादी pw 1 संतोष पुत्री जगन्नाथ सिंह पत्नी राजेन्द्र सिंह जाति राव राजपूत निवासी भकरावदा हाल मुकाम महावीर कॉलोनी बारां का शपथ पत्र पेश किया गया तथा शपथ बयान लेखबद्ध किये गये। साक्ष्यवादी ने अपने शपथ पत्र में बताया कि मेरे शामलाती कब्जे काश्त एवं स्वामित्व की आराजी ग्राम व माल भकरावदा तहसील अटरू जिला बारां में खाता संख्या 136 की कुल किता 10 का रकबा 6.36 है0 में हिस्सा 1/78 दर्ज खाता चली आ रही है। नकल जमाबन्दी प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न की जा चुकी है। जो काबिल गौर है। मेरा नाम उक्त वर्णित भूमि में सहवन से चन्द्रीबाई नाम अंकित हो गया है। जो कि गलत है। मेरा सही नाम संतोष है। भामाशाह कार्ड, राशनकार्ड व आधार कार्ड आदि में भी संतोष नाम ही दर्ज है। उक्त दस्तावेज व सरपंच ग्राम पंचायत गदरेटा पं0स0 शाहबाद द्वारा जारी प्रमाण पत्र प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत किये जा चुके है। दस्तावेजात के आधार पर राजस्व रिकार्ड में अपना नाम चन्द्रीबाई के स्थान पर संतोष दर्ज करवाने की अधिकारणी हूॅ।

साक्ष्यवादी pw 2 सम्पतबाई पुत्री श्री भंवरसिंह जाति राव राजपूत निवासी भकरावदा तहसील अटरू का शपथ पत्र पेश किया गया। साक्ष्यवादी सम्पतबाई ने बताया कि ग्राम व माल भकरावदा तहसील अटरू में खाता संख्या 136 की कुल किता 10 का रकबा 6.36 है0 आराजी मेरे शामलाती खाते दर्ज चली आ रही है। जिसमें मैं प्रार्थिया संतोष के साथ सहखातेदार हूॅ। संतोष का नाम उक्त जमाबन्दी में सहवन से चन्द्रीबाई दर्ज हो गया है। जबकि उसका वास्तविक नाम

संतोष ही है। जो उसके आधार कार्ड, भामाशाह कार्ड, राशन कार्ड आदि में भी अंकित है। वह उक्त खाते में अपना नाम चन्द्रीबाई को दुरूस्त करवाकर संतोष दर्ज करवाने की अधिकारणी है। जिसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं है।

3. अभिभाषक प्रार्थी की एक तरफा बहस सुनी, अभिभाषक प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया तथा निवेदन किया गया कि मद नं. 1 में वर्णित आराजी में प्रार्थीगण के पिता का सही नाम रामरतन तथा प्रार्थना पत्र की मद नं. 2 में वर्णित आराजी में प्रार्थी क्रम 3 का सही नाम रामरतन तथा प्रार्थना पत्र की मद नं. 3 में वर्णित आराजी में प्रार्थीगण के पिता का हिस्सा 1/2 सही दर्ज करके प्रार्थीगण का नाम दर्ज करने की कृपा करे।

4. उपलब्ध रिकार्ड एवं पत्रावली का अवलोकन एवं अध्ययन किया गया। ग्राम भकरावदा की जमाबन्दी संवत 2072–75 (प्रदर्श–1) में चन्द्रीबाई पुत्र जगन्नाथसिंह का नाम शामलाती खाते में दर्ज है। परिवार राशन कार्ड (प्रदर्श–3ए) में प्रार्थिया का नाम संतोष दर्ज है। भामाशाह कार्ड में संतोष दर्ज है। आधार कार्ड में संतोष पत्नि राजेन्द्र सिंह दर्ज है। ग्राम पंचायत गदरेटा के प्रमाण पत्र (प्रदर्श–2ए) में बताया कि संतोष पुत्री जगन्नाथ सिंह का जन्म ग्राम फरेदुआ उपरेटी में सन 1970 में हुआ था जिसका मुखबोला नाम चन्द्री बाई है।

5. रिकार्ड एवं साक्ष्य के आधार पर न्यायहित में प्रार्थिया का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य है।

–::क्रियात्मक आदेश::–

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थिया का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल.आर. एक्ट न्यायहित में स्वीकार किया जाता है। विवादित आराजी ग्राम एवं माल भकरावदा तहसील अटरू में खाता संख्या 136 का ख0नं0 10 का रकबा 6.36 है0 में सहखातेदार प्रार्थिया का नाम चन्द्रीबाई पुत्र जगन्नाथसिंह के स्थान पर संतोष उर्फ चन्द्रीबाई पुत्री जगन्नाथ सिंह दर्ज किये जाने के आदेश किये जाते है। तहसीलदार अटरू उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में इन्द्राज दुरूस्ती करें।

निर्णय आज दिनांक 30.05.2022 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(दिनेश कुमार मीणा)
उपखण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां